

कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (राज०)
Office of the Superintendent, Central Jail, Jaipur (Raj.)

क्रमांक/विधि/20/1162

दिनांक 21.04.20

श्री विश्राम प्रजापती अधिवक्ता
राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर।

विषय- आपका लीगल नोटिस के संबंध में।


प्रसंग- राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प
7(14)गृह-12/कारा/2020 जयपुर दिनांक-20.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के संदर्भ में लेख है कि इस कारागृह के दंडित बंदी हरनेक सिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी-गाँव बुटाहरी थाना-डेहलों जिला-लुधियाना (पंजाब) को श्रीमान ए.डी.जे. नं. 03 जयपुर मैट्रो जयपुर के प्रकरण संख्या 06/17 पुलिस थाना-अशोक नगर अन्तर्गत घास 364 A, 365, 343, 346, 201 भादस में दिनांक 06.10.2017 को आजीवन कारावास एवं जुमाने की सजा से दंडित होकर इस कारागृह में सजा भुगत रहा है। उक्त बंदी को उप शासन सचिव राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 13.04.2020 को कोविड-19 महामारी की संकथान हेतु राजस्थान पेट्रोल नियम (संशोधित) 2020 नियम 10-बी के तहत 04 सप्ताह के विशेष पेट्रोल अवकाश पर रिला करने के आदेश प्राप्त हुये थे।

अतः राज्य स्तरीय पेट्रोल समिति की बैठक दिनांक 17.04.2020 की अनुशाना पर बंदी को विशेष पेट्रोल 04 सप्ताह पर रिला करने के आदेश दिनांक 13.04.2020 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय


अधीक्षक

केन्द्रीय कारागृह जयपुर

प्रतिलिपि - निम्न की सूचनाएं एवं प्रकाशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान महाधिवक्ता एवं सानिरीधक उत्तरांचल राजस्थान जयपुर।
2. कर्तविकी प्रमुखी मुख्यलय उत्तरांचल राजस्थान जयपुर।